निग० -4924/2018/सतना/भू०रा०

(204)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल (म0प्र0) ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक................../18

अधि० श्री त्रिलोकप्रसाद द्विवेदी द्वारा पेश/ 08-8-18

30/-

1. विश्वनाथ प्रसाद शुक्ला उम्र 75 वर्ष तनय स्व0 श्री बल्देव प्रसाद शुक्ला
2. श्रीमती किरण शुक्ला उम्र 62 वर्ष पत्नी स्व0 श्री राघवेन्द्र प्रसाद शुक्ला
3. श्रीकृष्णम शुक्ला उम्र 40 वर्ष तनय स्व0 श्री राघवेन्द्र प्रसाद शुक्ला
4. श्रीमती शिवानी मिश्र उम्र 35 वर्ष पत्नी श्री देवेश मिश्र पुत्री स्व0 श्री राघवेन्द्र प्रसाद शुक्ला
5. सूर्य प्रसाद पाण्डेय उम्र 84 वर्ष तनय स्व0 श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय
6. रावेन्द्र शुक्ला तनय स्व0 श्री गिरिजाशंकर शुक्ला
7. भूपेन्द्र शुक्ला तनय स्व0 श्री गिरिजाशंकर शुक्ला
8. ओंकार प्रसाद (मृत)

   अ. गंगा प्रसाद शुक्ला उम्र 52 वर्ष तनय स्व0 श्री ओंकार प्रसाद

   ब. कृष्णकुमार शुक्ला उम्र 50 वर्ष तनय स्व0 श्री ओंकार प्रसाद

   स. बद्री प्रसाद शुक्ला उम्र 56 वर्ष तनय स्व0 श्री ओंकार प्रसाद

सभी निवासी ग्राम विधुई खुर्द तहसील अमरपाटन पोस्ट रामगढ़ जिला सतना (म0प्र0) **----आवेदकगण**

बिरुद्ध

1. म0प्र0 राज्य
2. विश्वम्भर प्रसाद तनय स्व0 बल्देव प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम विधुई खुर्द तहसील अमरपाटन, पोस्ट रामगढ़ जिला सतना (म0प्र0) **----अनावेदकगण**

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश दिनांक 28.06.18 जो प्रकरण कमांक

260/निगरानी/2000-01 मे पारित, जिसके द्वारा कलेक्टर सतना के प्रकरण कमांक 33/अ-19/स्व.निगरानी/1994-95 मे पारित आदेश दिनांक 04.04.2001 .

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.06.18 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।
2. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय/अपर कमिश्नर के समक्ष आवेदकगण कमांक 1 ता 4 व उनके पूर्वाधिकारी तथा अनावेदक कमांक-2 ने मिल करके कलेक्टर सतना के आदेश को चुनौती दिया था यद्यपि अन्य आवेदकगण निगरानी दायर करने के लिए उपस्थित नही हो पाए थे तद्नुसार उन्हें अनावेदक के रूप मे अपर कमिश्नर के न्यायालय मे पक्षकार बनाया गया था बहरहाल सबकी सहमति थी और सभी पक्षकारों/निगरानीकर्ता का एक समान हित व अधिकार है तद्नुसार सभी आवेदकगणों की तरफ से एक साथ निगरानी दायर की जा रही है जो प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए न्यायहित मे ग्रहण किए जाने योग्य है, यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अनावेदक कमांक-2 निगरानी प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नही हो पाए है, तद्नुसार उन्हें अनावेदक कमांक-2 के रूप औपचारिक बनाया जा रहा है, उससे निगरानीकर्ता का कोई वैधानिक बिन्दुओं पर बिरोध नही है।
3. इस मामले मे मुख्य रूप से यह बिन्दु निहित है जो कलेक्टर सतना ने स्वप्रेरणा निगरानी का कथित प्रकरण संस्थित किया था और उसमे जो आदेश दिनांक 04.04.2001 को पारित किया गया था उसमे क्या कोई अवैधानिकता या अनियमितता थी और क्या उसे निरस्त करने का सारवान/तात्विक आधार मामले मे था। वस्तुतः निगरानी ज्ञापन मे उठाए गए बिन्दुओं को तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय/अपर कमिश्नर ने निराकृत ही

(204)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–4924/2018/सतना/भू–रा0 जिला–सतना

विश्वनाथ प्रसाद शुक्ला वगैरः/ म0प्र0 राज्य, विश्वम्भर प्रसाद

(1)	(2)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 260/निगरानी/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 28.06.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.08.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य